78

SUSHIL KUMAR JHA (R.T.I. Activist)

Address - Vill. – Khojwa, P.O. – Chilra, Block- Saraiyahat, Dist. – Dumka (Jharkhand) – 814151 Mob. – 9470342244

ed as a fundamental right of public under article 19(1) (a) of the Indian Constitution)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-7 एवं धारा-19 के उल्लंघन के संज्ञानार्थ

"निर्धारित समय-सीमा में भी सूचना अप्राप्त"

दिनांक:- 24.11.2022

ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,
सरैयाहाट (दुमका)

– "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" के तहत आवेदक (सह-अपीलकर्ता) के द्वारा माँगी गई सूचना पर उपलब्ध कराई गई गलत व कंडिकाविरुद्ध भ्रामक सूचना पर अपीलकर्ता द्वारा आपत्ति किए जाने पर भ्रष्टाचारी शिक्षक को बचाने का प्रयास करते हुए आवेदक को पुनः जानकारी छुपाने संबंधी "असूचना" (सूचना नहीं) प्रेषित कर असंवैधानिक रूप से सूचनाधिकार का खुलेआम उल्लंघन कर आपके द्वारा प्रखंड में भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाने के संबंध में ।

- 1. सूचनाधिकार आवेदक द्वारा याचित कंडिकांकित जानकारी के विरुद्ध प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का कार्यालय, सरैयाहाट द्वारा आवेदक को प्रेषित त्रुटिपूर्ण असूचना पत्रांक-663 दिनांक-10.11.2022 पर व्यथित सूचना-याचक के आपत्योपरांत पुनः प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का कार्यालय, सरैयाहाट द्वारा प्रेषित असूचना की पुनरावृत्ति-पत्रांक-702, दिनांक-21.11.2022 ।

उपरोक्त विषयक अधिनियम के तहत जन-सूचना पदाधिकारी-सह-जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका से मेरे द्वारा माँगी गई सूचना का आवेदन, दिनांक-13-09-2022 को सभी संबंधित प्राधिकार समेत आपके कार्यालय को भी डाक द्वारा बारम्बार अवलोकन कराए जाने के बावजूद वास्तविक जानकारी व कार्यालय-अभिलेख को छुपाते हुए आपके कार्यालय के द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाना, वास्तव में स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन के चावल की कालाबाजारी की पुष्टि हुई है, जिसका प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है।

यद्यपि उक्त प्रासंगिक दोनों पत्रांक के द्वारा MDM चावल की काला--बाजारी के संलिप्त विद्यालय के रूप में "आदर्श मध्य विद्यालय, सरैयाहाट" का जिक्र भी किया गया है, जिस संदर्भ में, आवेदक के शेष सभी आवश्यक व वांछित सूचनाओं को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक प्रतीत हुआ है। चूंकि प्रथम अपीलीय प्रक्रिया की भी समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, जिसकी अग्रेतर कार्रवाई हेतु आवश्यक संज्ञानार्थ प्रेषित की जा रही प्रतिलिपि:–

1. प्रखंड विकास पदा०, सरैयाहाट
2. जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला शिक्षा पदा० दुमका
3. उपायुक्त, दुमका एवं MDM, दुमका
4. मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, झारखंड, राँची
5. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राँची

को सादर सूचनार्थ व संज्ञानार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन अपीलार्थी

(signature) 24/11/22

(सुशील कुमार झा)

पता+फोन नं०- पत्रोपरि अंकित

(अनुलग्नक:- 02 पृष्ठ)

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—(एन)04/0007/2003—05 REGISTERED NO. DL—(N)04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1
PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 25] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2005/ज्येष्ठ 31, 1927
No. 25] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2005/JYAISTHA 31, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 21st *June*, 2005/*Jyaistha* 31, 1927 (*Saka*)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 15th June, 2005, and is hereby published for general information:—

THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005
No. 22 of 2005

[15*th June*, 2005.]

An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the Constitution of India has established democratic Republic;

AND WHEREAS democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and also to contain corruption and to hold Governments and their instrumentalities accountable to the governed;

AND WHEREAS revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests including efficient operations of the Governments, optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information;

75 (2)

कार्यालय- जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका।

पुराना गर्ल्स हाई स्कूल, नया पाड़ा दुमका-814101
ई-मेल :- deodumka@gmail.com

पत्रांक......................../

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जन सूचना पदाधिकारी, दुमका।

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–
डीम्ड जन सूचना पदाधिकारी, दुमका।

दुमका, दिनांक

– सूचनाधिकार अधिनियम 2005 की धारा– 21 के प्रतिक्षार्थ सूचना, आवेदक श्री सुशील कुमार, झा, ग्राम– खोजवा, पोस्ट– चिलरा, प्रखंड– सरैयाहाट, जिला– दुमका, झारखंड, पिन– 814151, दिनांक 04.11.2022 से प्राप्त आवेदन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक सूचनाधिकार 2005 के तहत आवेदक, श्री सुशील कुमार, झा, ग्राम– खोजवा, चिलरा, प्रखंड– सरैयाहाट, जिला– दुमका, झारखंड, पिन– 814151 के द्वारा जन सूचना पदाधिकारी के ाक्षरी कार्यालय से सूचना की माँग किए जाने के बाद से जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–डीम्ड जन सूचना ारी, दुमका तथा सरैयाहाट एवं काठीकुंड प्रखंड के संबंधित सूचना प्रदाता कार्यालयों के संबंधित प्रतिनिधियों रक्षित महसूस किए जाने संबंधी जानकारी की अग्रिम सूचना संबंधित पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्राप्त । (छायाप्रति संलग्न)

अतः सूचनाधिकार अधिनियम 2005 की धारा– 21 के तहत आवश्यक अनुपालनार्थ हेतु आपको पत्र की जा रही है ताकि श्री झा द्वारा माँगी गई सूचना के आवेदनों के सम्यक् निष्पादन तक :–सह–अपीलकर्ता श्री झा के साथ किसी प्रकार की प्रतिकूलता की स्थिति उत्पन्न ना हो।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय

ाक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/-
जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जन सूचना पदाधिकारी, दुमका।

:– 2220 /दुमका, दिनांकः– 14/11/2022

पे:– श्री सुशील कुमार झा, ग्राम– खोजवा, पोस्ट– चिलरा, प्रखंड– सरैयाहाट, जिला– दुमका/ प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सरैयाहाट/ प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, काठीकुंड/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आदर्श म0वि0, काठीकुंड को सूचनार्थ प्रेषित/ क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/प्रभारी पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, उपायुक्त कार्यालय, दुमका को सादर सूचनार्थ समर्पित।

14/11/22

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जन सूचना पदाधिकारी, दुमका।

with Thanks for the above same.
17/11/22

Recd 14/11/22 14/11/22